<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–IX मुजफ्फरपुर</u>
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या–612/2026</u>
<u>पानापुर करियात थाना कांड संख्या–43/2026</u>
बालिन्द्र राम बनाम बिहार राज्य

===

बालिन्द्र राम, पिता–स्व0 गोनौर राम, उम्र–32 वर्ष,
ग्राम–नरियार पानापुर, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर
.....................................आवेदक।

बनाम

राज्य ....विपक्षी।

अभियुक्त की ओर से–श्री अवनिश कुमार (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन की ओर से–श्री विकास नारायण सिन्हा (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

===

<u>आदेश</u>

<u>02.06.2026</u>

1. न्यायिक अभिरक्षाधीन आवेदक बालिन्द्र राम की ओर से पानापुर करियात थाना कांड संख्या–43/2026 अंतर्गत धारा–317(5), 3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 27.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

2. आवेदक की ओर से दाखिल शपथ पत्र समर्थित जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे गांव की गंदी राजनीति के कारण एवं पूर्व दुश्मनी के कारण इस कांड में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक की ओर से निम्न न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात् आवेदक की ओर से कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आवेदक के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा कांटी थाना कांड सं0–600/2023 धारा 399, 402, 414, 120(बी) भा0द0वि0 एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक दिनांक 27.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्ध कोई आरोप लागू नहीं होता है। अभियोजन का सम्पूर्ण कथन मिथ्या, बनावटी एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के कब्जे से कोई सामान बरामद नहीं किया गया है। आवेदक का इस केस से कोई संबंध नहीं है और इसने कोई अपराध भी कारित नहीं किया है। आवेदक न्यायालय के प्रत्येक शर्त को मानने को तैयार है। उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वह जमानतदार देने को तैयार है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत देने की कृपा की जाय।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का प्रबल विरोध करते हैं कि आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्त को रात्रि 10.30 बजे आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिये गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से दो देशी आग्नेयास्त्र, नौ जिन्दा कारतूस एवं अन्य आपत्तिजनक पदार्थ यथा,

लगातार
02.06.2026

चाकू, कटर मशीन आदि के साथ घटनास्थल पर बरामद किया गया है। आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत गंभीर एवं अपेक्षाकृत समान प्रकृति के अपराध में है, जिससे परिलक्षित होता है कि अभियुक्त अभ्यासतः अपराधी है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि जमानत प्रदान करने के मुख्य कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक व्यक्तिगत अधिकार एवं सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाना भी है। वाद वर्तमान में अनुसंधान एवं साक्ष्य संग्रहण की अवस्था में है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

4. सूचक पु0अ0नि0 साहुल कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 26.03.2026 को समय करीब 22.05 बजे सशस्त्र बल के साथ विधि ा व्यवस्था हेतु थाना से प्रस्थान किया था तो करीब 22.10 बजे गुप्तचर के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राम प्रवेश कुमार अपने साथी शत्रुध्न सहनी एवं बालेन्द्र के साथ हथियार और कटर मशीन एवं चोरी करने वाला अन्य सामग्री रखे हुये है और मुरारी चौक पर है। यदि तुरन्त कार्रवाई किया जायेगा तो सभी रंगे हाथ पकड़ा जायेगा। इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को देते हुये सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई फसियरवा चौक से प्रस्थान किये और पानापुर चौक से होते हुये कांटी वाला रोड में जा रहे थे तो शेरूकाही चौक से करीब एक किलोमीटर पीछे ही काटा पर दो मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्ति आ रहा था जो पुलिस की गाड़ी को देखकर पीछे घुमा कर भागने लगा जिसे पुलिस जीप से खदेड़ा गया तो तीनों लोग शेरूकाहीं कांटा से महम्मदपुर वाला कच्ची सड़क में भागने लगा जो करीब दो किलोमीटर अन्दर गांव पार करके सड़क जहां पर समाप्त हो जाती है, वहां पर दोनों की गाड़ी आपस में टकरा गई और वे लोग गिर गये जिसके बाद बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये तीनों व्यक्तियों का नाम पूछा गया तो उनलोगों ने अपना–अपना नाम राम प्रवेश कुमार, शत्रुध्न सहनी एवं बालेन्द्र राम बताये। पकड़ाये तीनों व्यक्ति की तलाशी लेने हेतु आसपास के लोगों का खोजबीन किया, परन्तु रात्रि होने के कारण वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके बाद साथ में गये बल सौरभ कुमार एवं साहिल कुमार को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया तो ये लोग साक्षी बनने को तैयार हो गये। तीनों व्यक्तियों को बारी–बारी से तलाशी लिया तो पकड़ाये राम प्रवेश सहनी के कमर से खोंसा हुआ एक लोहे का लोडेड देशी कट्टा जिसको अनलोड करने पर एक जिन्दा कारतूस, पैंट के दाहिने पॉकेट से एक जिन्दा कारतूस, पकड़ाये शत्रुध्न सहनी के कमर में खोसा हुआ एक लोहे का लोडेड देशी कट्टा जिसे अनलोड करने पर एक जिन्दा कारतूस तथा जिंस के दाहिने पॉकेट से जिंदा कारतूस, पहने शर्ट के जेब से पांच जिन्दा कारतूस तथा शत्रुध्न सहनी के हीरो होण्डा स्पलेंडर मोटरसाइकिल पंजीयन सं0–यूपी65जी–9901 के हैंडल में एक उजला रंग का झोला

लगातार
02.06.2026

जिसमें एक लोहे का कटर, आरी, ब्लेड एवं दो तार छिलने वाला चाकू तथा राम प्रवेश सहनी का केटीएम ड्यूक 200 मोटरसाइकिल जिसका पंजीयन सं0–बीआर06डीडी–1055 बरामद हुआ। दोनों मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ किया तो राम प्रवेश सहनी के द्वारा बताया गया कि केटीएम मोटरसाइकिल इनका ही है एवं शत्रुधन सहनी के द्वारा भी बताया गया कि हीरो होण्डा मोटरसाइकिल इनका ही है जिसे सेकेंड हैंड खरीदा है। दोनों मोटरसाइकिल की वैध कागजात की मांग किया तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात सभी सामानों को जब्ती सूची बनाकर जब्त किया और उसपर दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अपना–अपना दस्तख्त बनाया और जब्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्ति को हस्तगत कराया गया तथा तीनों व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। जब्त सामानों के संबंध में पूछताछ किया तो उनलोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग हथियार और कटर, आरी, ब्लेड तथा अन्य सामग्रियों के साथ क्षेत्र में चोरी और लूटपाट के नीयत से निकले थे। इनलोगों ने आगे यह भी बताया है कि खैरा जैतपुर में गैस से लदे ट्रक को लूटे हैं। गरहा, अहियापुर, मोतीपुर थाना क्षेत्र से गैस के ट्रक को लूटे हैं तथा वैशाली जिला के बेलसर थाना से भी गैस की चोरी किये हैं। राम प्रवेश कुमार के द्वारा बताया गया कि इसने 15.12.2025 को बंगरा चौपान में एक मोबाइल दुकान का शटर का ताला काट कर मोबाइल सामग्री चोरी कर लिये थे उसमें से मेरे घर से सामान बरामद हुआ था। सभी के साथ थाना पहुंचा तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमों का पालन करते हुये थाना हाजत में रखा और जब्त प्रदर्श को सुरक्षार्थ थाना मालखाना तथा जब्त मोटरसाइकिल को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का सारगर्भित बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदक एवं प्राथमिकी के अन्य सह अभियुक्तों को साथ मिलकर गंभीर अपराध कारित करने के उद्येश्य से गंतव्य तक जाने के क्रम में पुलिस द्वारा आवेदक एवं अभियुक्तगण को घटनास्थल पर दो देशी आग्नेयास्त्र, नौ जिन्दा कारतूस और कटर, आरी, ब्लेड तथा अन्य आपराधिक कृत्य कारित करने हेतु अन्य सामग्रियों के साथ पकड़ा गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–3 में आवेदकगण के पास से बरामद दो देशी आग्नेयास्त्र, नौ जिन्दा कारतूस और कटर, आरी, ब्लेड आदि की जब्ती सूची अंकित है। कंडिका–32 में अभियुक्तगण के पास से बरामद आग्नेयास्त्रों का जांच प्रतिवेदन अंकित है, जिसे आयुध निरीक्षक द्वारा कार्यशील पाया गया है। कंडिका–04 में वादी ने अपने पुनःबयान में तथा कंडिका–05, 06 में विभिन्न साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदक के शपथ पत्र समर्थित जमानत आवेदनानुसार एवं कंडिका–39 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कांटी थाना कांड सं0–600 / 2023 धारा 399, 402, 414, 120(बी) भा0द0वि0 एवं

लगातार
02.06.2026

धारा 25(1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज है। आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत अभिकथित अपराध से गंभीर एवं अपेक्षाकृत समान प्रकृति के अपराध में है। कांड वर्तमान में अनुसंधान के प्रारंभिक चरण एवं साक्ष्य संग्रहण की अवस्था में है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये अभियोग गंभीर प्रकृति एवं समाजिक हित के विपरीत हैं, जिससे सार्वजनिक शान्ति एवं सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

6. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, गम्भीरता, आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम को देखते हुये आवेदक को जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, आवेदक बालेन्द्र राम का नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब सम्प्रेषित करें।

लेखापित
Sd/-
प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
मुजफ्फरपुर